ITI PROSPECTUS

AVADH PRIVATE I.T.I. अवध निजी औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (इलेक्ट्रस्थायम फिटर) अमेरी रोड बालवेडी



AVADH PRIVATE ITI BARABANKI

Affiliated & approved by N.C.V.T, New Delhi.



MRS. RITU GOEL Vice-Chairman



MR. RISHI GOEL Chairman



MRS. RITA GOEL Treasurer
















BALJIT KUMAR BRIJ RANI EDUCATIONAL TRUST



Late Shri Baljit Kumar Goel & Late Shrimati Brij Kani Goel



OUR FOUNDER CHAIRMAN



Our Lt. Founder Chairman always endeavoured to follow a vision of providing a wide range of enrichment and enhancement opportunities to the students so that they grow up with high aspiration & with confidence. To create education awareness in remote areas like Barabanki he brought into existence Avadh Law College in 2008, which initially started with LL.B. 3 years Degree Course. In the Year 2014, the College got permission to impart 5 Year Law Degree Course (B.A.LL.B) as well.

Mr. Goel wanted to make the people of rural areas aware of their rights and hence many seminars were conducted in the villages for this.

It was his dream to start a school for the children of this area who cannot afford to go to Lucknow to better schools for quality education. His aim was to ensure that every child should have a pleasant, rich & personalized learning experience during all these vital years of education.

Now we are taking his vision a step forward and introducing Avadh Private ITI.

66 Attitude Has Determined Alltitude 99



PROSPECTUS ITI 2017-18

THE INSTITUTE

Seized with a desire to serve the human being and to meet the new challenges with changed concepts 'Avadh Law College' was brought into existence in 2008. This is governed by Baljit Kumar Brij Rani Educational Trust and is affiliated with Dr. R.M.L.A.U. Avadh University, Faizabad & is approved by the Bar Council of India, New Delhi.

We live in an age of exposure & value addition and it takes more than a strong academic qualification to achieve one's full potential.

In 2016 the college moved a step ahead to create education awareness in remote areas like Barabanki and introduced Avadh Private I.T.I which is affiliated & approved by N.C.V.T, New Delhi.

Avadh I.T.I is affiliated to the National Council for vocational Training (NCVT), Government of India, New Delhi, through state Council for technical educational & vocational Training, Directorate of Technical Education and Training, Government of U.P.

The Institute is located on Faizabad Lucknow highway & is well connected with frequent town bus service at every five minutes.

The aim of the Institute is to import technical training approved by NCVT to make the educated unemployed youth suitable for Industrial employment in U.P. India as well as gainful self employment. The Institute has its own building, The workshop is equipped with all types of machineries, tools etc. (as per NCTV Norms) and a full fledged Technical library.



COURSE SCHEDULE:

S.No.	Name of Trade	Duration of Course	Qualification	Intake Capacity (Units)
1	Fitter	4 Semester (2 Year)	HSC Pass & above	2+2+2=126 seats
2	Electrician	4 Semester (2 Year)	HSC Pass & above	2+2+2 = 126 seats

Application in the Prescribed form for admission into craftsman training courses are invited from eligible candidates with in 20 days from the date of Publication of HSC result/ Advertisement by the institute. The application form for admission will be available from Avadh Private I.T.I Barabanki.

Application complete in all respect should be deposited in the Administrative building of I.T.I in campus Avadh I.T.I. on before the due date. Incomplete application will be rejected by the principal with at assigning only reason there of.

The following documents should be submitted along with the application form.

- 1- Copy of HSC Mark sheet copy of last course completed.
- 2- Four passport size photograph.
- 3- Copies of caste certificate in case of Sc/ST/OBC candidates.

TRAINING CURRICULUM

The Institute maintains a rigid training standard as prescribed in the training Manual issued by DGET, New Delhi in compliance to this standard the institute maintains a group of qualified and experienced instructional staff to Import methodical training to make the trainees fit for employment in Industries as well as for self employment by availing financial assistance from the Govt. Agencies.



During the training period, regular monthly test are conducted to evaluate the performances of the trainees. In order to bring the trainees at par standard to an average level, extra efforts are made by conducting coaching classes. As a result of this, Performances of our trainees are always appreciated by all concerned.

Further, Since this is a time bound training programmer, day to day training activities are considered to be important. Therefore, the holidays of the Institute are restricted only to the days declared by the state Government.

For better training performance if a trainee is found irregular in attendance he will either be detained in the class till he/she secures prescribed percentage of attendance or finally discharged from the institute. Where a trainee absents himself for more than 50% of class for whatever reason he/she will not be allowed to continue his/her training. In case of below average and irregular trainees, the progress and attendance information are reported to the guardian. A college brochure with detailed information to this effect with other rules and regulation & curriculum of the institute will be provided upon admission.

COMPUTER TRAINING:

Besides the craftsmen training the institute provides computer training also. Accordingly a period for computer class has been provided in the Time Table: Ms OFFICE, EXCEL, POWER POINT, and Internet are taught in this computer training programme. By utilizing the above knowledge students can access their data, placement information etc. by login internet in any computer system.

INDUSTRIAL TOUR:

The Institute provides two weeks of industrial Tour for the ITI students which helps them a lot by practical exposure in respective field. The Institute will provide accommodation there and students will gain practical knowledge



effectively and participate meaning fully with rapidly changing machines & equipments.

Recruitment / Placement Based Training Activity: Besides their traditional practical as per DGEST Norms, Some special placement Based Training Programmes are conducted by well by Experienced Technicians and Experts. The course module of this programme is designed to suit the concerned industry or organization.

SEMINAR / WORKSHOP:

The institute also conducts seminars, symposium and work shops to create general awareness among students regarding modern pedagogy on working of modern industries by inviting eminent Engineers & professionals from established industries and Govt. offices. The Institute offers many Job oriented practical work which is more beneficial to the trainees.

VALUE ADDED TRAINING PROGRAMME:

Keeping in view the need of the Industrial specially small ones a multi skill value added training programme is conducted at the end of the institutional training according to the course curriculum specially designed to gain working knowledge in allied trades in order to make the trainees fit to cater to the need of small and tiny industries as well as for benefit in gaining full self employment.

UNDERTAKING:

Every candidate will have to give an undertaking at the time of admission to the effect that

■ He / She will abide by the rules and regulations of the institute and Hostel.




- Pay the Institute / Hostel dues in time.
- He / She will be regular in classes.
- Violation of rules of the Institute / Hostel as per undertaking by the trainees liable for discharge and the institute will have the right to recover from him / her the cost of damage caused of such amount as they deem fit.

OTHER FACILITIES AVAILABLE IN AVADH PRIVATE I.T.I:

- Placement cell
- Canteen facility
- Play ground
- Wireless e- campus
- Hi-tech facility
- Wi-fi campus

UNIFORM:

All the students are to present in the institution in the prescribed uniform and must carry their ID Cards all the time.





अवध प्राइवेट आई.टी.आई.

बलजीत कुमर बृजरानी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा सन् 2008 में विधि के क्षेत्र में अवध लॉ कालेज शुरू किया गया।

संस्थान द्वारा उक्त कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अवध प्राइवेट आई0टी0आई0 से निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलकर तकनीकी विकास हेतु समाज के गरीब एंव बेरोजगार नवयुवकों एंव नवयुवितयों तथा विधवा एंव निःशक्त को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सवेतन रोजगार व स्वतः रोजगार के योग्य बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एंव रोजगार निदेशालय, श्रम मंत्रालय उ०प्र0 सरकार से सम्बद्ध तथा प्रशिक्षण एंव रोजगार महानिदेशालय डी0जी0आई0टी0 श्रम एंव रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त है। संस्थान में प्रवेश लिये हुए प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है। सफल परीक्षार्थियों को अंक पत्र उ०प्र0 सरकार तथा प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

संस्थान अपने प्रदेश के संस्थानों में विशिष्ट स्थान रखता है। संस्थान के पास फिटर, इलेक्ट्रीशियन की सुसज्जित कार्यशाला है। जिसमें भारत सरकार के मानकों के अनुरूप मशीनरी तथा उपकरण आदि प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। संस्थान के पास अनुभवी एवं योग्य स्टाफ एवं अनुदेशक मौजूद हैं।



व्यवसाय-

संस्थान में प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध हैं।

क्रम. सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रवेश क्षमता
1	फिटर	2 वर्ष	हाईस्कूल या समकक्ष	2+2+2 कुल 126 सीटें
2	इलेक्ट्रिशियन	2 वर्ष	हाईस्कूल या समकक्ष	2+2+2 कुल 126 सीटें

प्रशिक्षण सत्र -

- 01. संस्थान का प्रशिक्षण सत्र अगस्त से जुलाई तक का होता है।
- 02. रोजाना 8 घण्टे का प्रशिक्षण दिलाया जाता है।
- 03. संस्थान के कार्यालय का समय प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक है।
- 04. सन् 2017-18 से सेमेस्टर प्राणाली के स्थान पर अब वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होगी।

उपस्थिति -

- 01. अभ्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ये नियमित रुप से कक्षाओं में उपस्थित रहें क्योंकि परीक्षा में बैठने के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा उपस्थिति पूर्ण न होने की दशा मे प्रशिक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 02. जो अभ्यार्थी लगातार 07 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहता है उनके अभिभावको को पत्र के माध्यम से जानकारी (चेतावनी स्वरुप) भेज दी जायेगी, यदि चेतावनी के बाद भी छात्र / छात्राएं उपस्थिति नहीं हो रहे हैं तो इस दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
- 03. अभ्यार्थी को अपनी उपस्थिति अपने पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले अनुदेशक से प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में अवश्य ज्ञात कर लेनी चाहिए। यह उसका स्वंय का उत्तरदायित्व होगा।



नोट अभिभावको से अनुरोध है कि वे प्रशिक्षार्थियों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी प्रतिमाह संस्थान से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर लें तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

शुल्क-

- 01. एक बार शुल्क जमा कराने के पश्चात् किसी भी दशा में न तो शुल्क लौटाया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा।
- 02. 10 तरीख तक शुल्क जमा न करने पर 5 रुपये शुल्क प्रतिदिन दण्ड स्वरूप देना होगा। उसी माह की 30 तारीख तक शुल्क जमा न करने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए प्रशिक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यूनीफार्म-

प्रत्येक अभ्यार्थी को संस्थान द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।

चयन -

- 01. प्रवेश परीक्षा एंव साक्षात्कार के आधार पर क्रमानुसार दिये गये व्यवसाय में चयन मेरिट से किया जायेगा। जिसकी सूची संस्थान के सूचना पट पर लगा दी जायेगी।
- 02. चयनित अभ्यार्थियों को प्रवेश के समय सभी मूल प्रमाण की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतिलिपियाँ (दो प्रतियों में) एंव मूल प्रमाण-पत्र तथा 06 फोटो प्रस्तुत करने होगें।
- 03. किसी प्रवेशार्थी द्वारा कोई धनराशि जमा किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि वह संस्थान में प्रवेश पा चुका है जबतक प्रवेशार्थी संस्थान को प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रवेश नियमों के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा स्वीकृत हो जाये एंव संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क एंव मांगे गये प्रपत्र जमा कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके स्थान पर वरीयता क्रम में आने वाले अगले अभ्यार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।
- 04. संस्थान के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को यह अधिकार होगा कि वह संस्थान हित में बिना कोई कारण बताये किसी भी अभ्यार्थी को प्रवेश न दे।



अनुशासन-

- 01. सभी अभ्यार्थियों को अपना परिचय-पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य होगा जिसे संस्थान के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य / कार्यदेशक तथा अनुदेशक के मांगने पर परीक्षार्थी को दिखाना होगा, परिचय पत्र न दिखाने पर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का संस्थान को पूरा अधिकार होगा।
- 02. कोई प्रशिक्षार्थी कक्षा में न तो देर से आयेगा और न ही उसे छोड़कर जल्दी जायेगा।
- 03. कोई प्रशिक्षार्थी संस्थान के प्रांगण में इधर- उधर नहीं घूमेगा और नहीं गैलरी में अथवा कक्षा के सामने खड़े होकर शोर करेगा।
- 04. कोई प्रशिक्षार्थी संस्थान की दीवारों, दरवाजों, खिड़िकयों आदि पर न तो इश्तहार लगायेगा और न ही कुछ लिखकर या चित्र बनाकर उन्हें विकृत करेगा।
- 05. संस्थान में प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षार्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेश नहीं ले सकेगें। ज्ञात होने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशिक्षार्थी पर होगा।
- 06. प्रशिक्षार्थी अपनी किसी मांग को सामूहिक रूप से प्रस्तुत नहीं करेंगे न ही उसके समर्थन में कोई प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने का प्रयास करेगा।
- 07. कोई प्रशिक्षार्थी बिना अनुमति प्राप्त किये संस्थान के कार्यालय मे प्रवेश नहीं करेगा।
- 08. कोई प्रशिक्षार्थी अपने किसी कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से दबाव अथवा सिफारिश कराने का प्रयास नहीं करेगा।
- 09. कोई प्रशिक्षार्थी अपने साथ किसी बाहरी व्यक्ति को साथ लेकर संस्थान परिसर में नही आयेगा।
- 10. संस्थान मे पान मसाला / धूम्रपान करने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी।
- 11. कोई प्रशिक्षार्थी संस्थान में किसी के साथ अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा।



सुविधाएं-

- संस्थान द्वारा सामान्यतः खेलकूद व मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
- संस्थान के पास एक अच्छा पुस्तकालय है जिसके द्वारा प्रशिक्षार्थियों को समय-समय पर पुस्तकें
 पढने के लिए दी जायेगी।
- प्रशिक्षण के दौरान संस्थान द्वारा विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं कम्पनियों का अवलोकन कराया जायेगा।
- संस्थान मे उचित फिल्टिरित पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध है।
- संस्थान पूर्णरूप से वाई0फाई0 कैम्पस में उपलब्ध है।
- संस्थान में छात्र / छात्राओं के लिए कंप्यूटर कक्षाएँ भी उपलब्ध है।

आवेदन फार्म के साथ संलग्न करने वाले प्रमाण पत्र-

प्रवेश के इच्छुक छात्र निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगें। प्रवेश हेतु दिये गये आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है।

- 01. टी०सी० की कापी।
- 02. आधार कार्ड की छायाकापी।
- 03. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाणपत्र की छाया कापी।
- 04. इण्टरमीडियड अंकतालिका व प्रमाणपत्र की छाया कापी।
- 05. 06 पासपोर्ट साइज की फोटो।
- 06. चरित्र प्रमाण पत्र की कापी।
- 07. विद्यालय मे प्रवेश लेने हेतु द्योषणा-पत्र की कापी। (10रू० की नोटरी मे यह दर्शाना है कि जिस सत्र मे अभ्यार्थी का पंजीकरण जिस कोर्स के समकक्ष हुआ है, इसके अथवा किसी और पाठ्यकम में नहीं होना चाहिए)
- 08. आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र (प्रवेश लेने हेतु के समय सीमा के तीन वर्ष अवधि तक का मान्य होगा)

















